राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (79) वन/2022 जयपुर, दिनांकः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HoFF)
राजस्थान, जयपुर

विषयः– Diversion of 0.8142 ha. of forest land in favour of Power Grid Corporation of India LTD, Bikaner for Construction of 400 KV D/C Quad Bikaner(PG) to Bikaner II (PS) Transmission line Length 32.547 km के संबंध मे ।

संदर्भ :– प्रस्ताव संख्या (FP/RJTRANS/149957/2021)

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव में पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीकानेर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में 400 केवी डी/सी क्वाड बीकानेर (पीजी) से बीकानेर II (पीएस) ट्रांसमिशन लाईन के निमार्ण हेतु 0.8142 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ.न. 11–9/98–एफसी दिनां क 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.8142 ha. of forest land in favour of Power Grid Corporation of India LTD, Bikaner for Construction of 400 KV D/C Quad Bikaner(PG) to Bikaner II (PS) Transmission line Length 32.547 km की सैद्वान्तिक स्वीकृति 12 वृक्षों के पातन सहित, निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. रात्रि केम्पिंग नहीं की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थन पर कार्यरत मजदू रों/स्टाफ को रसोई गैस/केरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभू मि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून व तथा दिशा निर्देशों का पानल करेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.03.01 10:26:34 IST
Reason: Approved

7. प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति/वन्यजीवन (Flora/Fauna) की क्षति न होने की यूजर एजे न्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।
8. उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पडे स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करावा जावेगा ।
9. **प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।**
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुये राशि जमा की जायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावे गी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बेवपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैक चालान/यू टीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signature Not Verified
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.03.01 10:26:34 IST
Reason: Approved

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी

कार्यालय पताः– वन विभााग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या– 0141–2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in letter/ ...rsion/ajayfloder/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी–ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक बीकानेर।
5. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
6. उप वन संरक्षक, बीकानेर।
7. सहायक प्रबंधक, POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED,B-129 ,Kanta Khaturia Colony,Bikaner
8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.03.01 10:26:34 IST
Reason: Approved

कार्यालय पताः– वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या– 0141–2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in letter/[illegible]rsion/ajayfloder/